न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री शम्भुदयाल गुप्ता पुत्र श्रीराम प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्स धौंकरिया ट्रेडर्स, सुन्दरदास मार्ग, दौसा निवासी विवेकानन्द कॉलोनी दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51 एफएसएस रूल्स 2011
उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 07.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गुर्जर ने दिनांक 10.12.2022 को 01:39 पीएम पर मैसर्सः— धौंकरिया ट्रेडर्स, सुन्दरदास मार्ग, दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री शम्भूदयाल गुप्ता पुत्र श्रीराम प्रसाद गुप्ता मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा पूछने पर श्री शम्भूदयाल गुप्ता ने स्वयं को मैसर्सः— धौंकरिया ट्रेडर्स, सुन्दरदास मार्ग, दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** आम जनता को विक्रय करने हेतु 500—500 ग्राम के 32 पैकेट रखे हुये थे। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री शम्भूदयाल गुप्ता को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 32 पैकिटो में से 4 पैकिट 500—500 ग्राम हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री शम्भूदयाल गुप्ता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 240/—(अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder DhonkariyaFoods Brand)** को विक्रेता श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं गवाहान को दिखाकर 500—500 ग्राम को बराबर—बराबर अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में रखकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी—3127 अंकित किया प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री शम्भूदयाल गुप्ता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग—अलग एक रंगीन कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी—3127 को नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:39 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भाग पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। नमूना क्रय करते समय उक्त खाद्य पदार्थ का बिल मांगे जाने पर उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता एवं पैकिंगकर्ता स्वयं मैसर्स धौंकरिया फूड्स, भगवती आईटीआई के पीछे, ट्रक यूनियन के पास दौसा को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 12.12.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 12.12.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./906/एक्ट/2022/906 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./906/एक्ट/ 2022/906 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Moisture(By weight)** की मात्रा 11.29 प्रतिशत पाई गई है। मानक स्तर के अनुसार यह मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। मानक स्तर से अधिक मात्रा जांच रिपोर्ट में पाये जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर का खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा हमारी दुकान से हल्दी का जो सैम्पल लिया गया था। जांच रिपोर्ट में इस सैम्पल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। केवल मात्र **Moisture** की मात्रा तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। इस खाद्य पदार्थ में हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। भविष्य मे तय मानको के अनुसार ही उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर का उत्पादन किया जावेगा। कृपया प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:39 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट एल. एस./906/एक्ट/ 2022/906 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** का नमूना एफ.एस.एस. एक्ट 2006 के सेक्शन 3(1)(z)(x) तथा) (zf)(C)(i) का उल्लंघन होने से अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर का खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(Turmeric Powder Dhonkariya Foods Brand)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री शम्भुदयाल गुप्ता पुत्र श्रीराम प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्स धौंकरिया ट्रेडर्स, सुन्दरदास मार्ग दौसा निवासी विवेकानन्द कॉलोनी दौसा पर 15000/-(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 07.02.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः- 07.02.2024

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री शम्भुदयाल गुप्ता पुत्र श्रीराम प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्स धौंकरिया ट्रेडर्स, सुन्दरदास मार्ग दौसा निवासी विवेकानन्द कॉलोनी दौसा।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:39 IST
Reason: SelfAttested